संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2019/4917 भोपाल, दिनांक 15/05/2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय :–विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई का आयोजन Tobacco and lung health विषय पर किए जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि तम्बाकू के सेवन से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों के प्रति, आमजन को जागरूक करने एवं तम्बाकू के सेवन से रोकथाम हेतु संबंधित नीतियों का सख्ती से पालन हो।

तम्बाकू उत्पादों का बढ़ता उपयोग विश्व में लोगो की असमय मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। GATS-2 के अनुसार भारत में तंम्बाकू के उत्पाद से प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगो की मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश में कुल 50.2 प्रतिशत पुरूष एवं 17.3 प्रतिशत महिलाएं तंम्बाकू सेवन करते है एवं 24.7 प्रतिशत वयस्क सार्वजनिक जगहों पर अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आते है।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि **विश्व तम्बाकू निषेध दिवस– 31 मई 2019** को **Tobacco and lung health** विषय पर मनाया जावे एवं लोगों का ध्यान इस ओर केंद्रित किया जावे कि तम्बाकू के उपयोग से लोगों के फेफड़े प्रभावित होते है जैसे– फेफड़ों का कैंसर, श्वसन तंत्र की बीमारी, गर्भावस्था के समय धूम्रपान अथवा धूम्ररहित तम्बाकू के सेवन से शिशु को होने वाले दुष्प्रभाव, अस्थमा, निमोनिया ब्रोन्काइटिस, बार–बार श्वसन तंत्र का संक्रामण एवं क्षयरोग इत्यादि।

उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए 31 मई 2019 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जावें –

1. **जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर –**

   - सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में एवं Tobacco and lung health विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जावे जिसमें जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, पत्रकार, शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित होवे। उपस्थित जनसमुदाय द्वारा तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में न करने एवं अपने कार्यालय/दुकान को तम्बाकू सेवन से मुक्त रखने की शपथ ली जावें।
   - क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर रैली निकालकर जनजागरूकता लाई जावे एवं किशोर–किशोरियों, युवाओं के द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता, पेन्टिग प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान चलाया जावें। कोटपा अधिनियम 2003 का पालन क्षेत्र में सख्ती से हो सके इस हेतु सामूहिक चर्चा, सहयोग एवं प्रयास किया जावें।
   - जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाला कार्यक्रम कलेक्टर/जन प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एवं विकासखण्ड में आयोजित होने वाला कार्यक्रम अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जावे।

2. **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (COTPA) का सख्ती से पालन–** आपके जिले पर COTPA 2003 का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं इस हेतु बनाए गए निरीक्षण दल (संलग्न अ अनुसार) को निर्देशित करें, कि वह दिनांक 26 मई 2019 से 15 जून 2019 तक प्रतिदिन जिले एवं ब्लॉक का भ्रमण कर निरीक्षण करे; COTPA 2003 का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही करें एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट राज्य तम्बाकू नियत्रंण सेल, एन.एच.एम. को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायें। निरीक्षण दल में पुलिस बल का आवश्यक रूप से होना सुनिश्चित करें।
3. **ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन :–** प्रत्येक ग्राम पंचायत में तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जावे एवं साइकल रैली, दौड़ प्रतियोगिता, गांव में नारे लेखन का कार्य किया जावें।
4. **समस्त विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर–** प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर Tobacco and lung health विषय पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रश्न मंच, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर, रैली का आयोजन किया जावे।

बजट का प्रावधान :–

1. जिला स्तर पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को राशि रूपये 10,000/– का प्रावधान एवं समस्त ब्लांक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राशि रूपये 5,000/– प्रावधान प्रत्येक खण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ई–वित्त साफ्टवेयर के माध्यम से आई.ई.सी. मद से प्रदान किए गए है।
2. जिले में COTPA 2003 के सख्त पालन हेतु निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 26 मई 2019 से 15 जून 2019 तक प्रतिदिन भ्रमण किया जावे, जिसके लिए आवश्यक मोबेलीटी सपोर्ट/वाहन की व्यवस्था एन.एच.एम. अंतर्गत मोबेलीटी सपोर्ट मद से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।

मीडिया कवरेज :–

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के आयोजन, तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में जानकारी एवं कोटपा एक्ट अन्तर्गत की गई कार्यवाही के संबंध में समाचार समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिया जावे ताकि जनसमुदाय तम्बाकू का सेवन न करने, स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाने एवं COTPA Act का पालन किए जाने के संबंध में प्रेरित हो सके।

14/05

(नीतेश व्यास)
आयुक्त–स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / एन.एच.एम. / एन.टी.सी.पी. / 2019 /   भोपाल, दिनांक   /   / 2019

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला पुलिस अधिक्षक मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी. मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला माध्यम एवं साधन अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक मध्यप्रदेश।

//

आयुक्त—स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश